शिवराज ने लॉन्च की वीबी जी-रामजी योजना

125 दिन रोजगार गारंटी योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ

नई दिल्ली, 02 जुलाई. आंध्र प्रदेश के तिरुपति ज़िले के मुक्कावरिपल्ली गाँव से विकसित भारत जी राम जी योजना का आज राष्ट्रीय शुभारंभ हुआ, जहाँ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी और कमलेश पासवान तथा सांसद-विधायक और हजारों की संख्या में जनसमुदाय उपस्थित रहा.

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर के गरीब मजदूरों, किसानों और गाँवों के लिए रोज़गार की गारंटी, ग्राम विकास के लिए बड़े वित्तीय आवंटन और पारदर्शी व्यवस्था के साथ एक नया मॉडल पेश किया गया. चौहान ने अपना संबोधन

> चौहान ने योजना के वित्तीय पक्ष पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि विकसित भारत- जी राम जी योजना के पहले ही वर्ष में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 95,000 करोड़ रु. से अधिक रहेगी और राज्यों की 40% हिस्सेदारी जोड़कर यह वार्षिक व्यय 1.51 लाख करोड़ रु. के आसपास पहुँचता है. शिवराज सिंह ने बताया कि अगले 5 साल में इस योजना के तहत कुल 7.5 लाख करोड़ रु. खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है.

नमः वेंकटेश्वराय और गोविंदा, गोविंदा के जयकारों के साथ शुरू करते हुए कहा कि इस पावन धरती से विकसित भारत जी-राम जी योजना लागू होना गरीबों और मजदूरों के लिए भगवान की कृपा की वर्षा जैसा है.

उन्होंने प्रार्थना की कि देश में कोई भी गरीब मजदूर बिना काम के न रहे, हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी मिले. इसी संकल्प को ज़मीन पर उतारने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से धन्यवाद दिया. चौहान ने याद दिलाया कि यूपीए सरकार के समय शुरू हुई मनरेगा में सिर्फ 100 दिन रोज़गार की गारंटी दी जाती थी. उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी की नई रणनीति के तहत विकसित भारत- जी राम जी योजना में मजदूरों के लिए पूरे 125 दिन तक काम की पक्की गारंटी दी जा रही है.

भूस्खलन से केदारनाथ यात्रा मार्ग बाधित

रुद्रप्रयाग, 02 जुलाई. केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गुरुवार सुबह सोनप्रयाग और मुनकटिया के बीच पहाड़ी से अचानक भारी पत्थर गिरने के कारण भूस्खलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई. घटना के चलते पैदल मार्ग पर मलबा फैल गया, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही तत्काल प्रभाव से रोकनी पड़ी. प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियातन यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया. घटना की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव दल, पुलिस और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंचीं और मार्ग से पत्थर तथा मलबा हटाने का अभियान शुरू कर दिया. फिलहाल प्राथमिकता मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित बनाना है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को खतरा न हो. मलबा हटाने के लिए मशीनों और कर्मचारियों की मदद ली जा रही है. सुरक्षा मानकों का आकलन करने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा.

विभाजन के बाद भारत आए लोग शरणार्थी नहीं

नागपुर, 02 जुलाई. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि वर्ष 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को शरणार्थी कहना उचित नहीं है. उनके अनुसार, वे ऐसे संघर्ष के योद्धा थे जिन्होंने अपनी कई पीढ़ियों से जुड़ी जमीन, कारोबार

- नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले
- उन्होंने संपत्ति नहीं भारत और अपने विश्वास को चुना

और संपत्ति छोड़कर भारत को चुना.

उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और भारत में अपने धर्म का पालन स्वतंत्र रूप से करने के उद्देश्य से यहां आए. मोहन भागवत बुधवार को नागपुर में सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के 75वें स्थापना दिवस

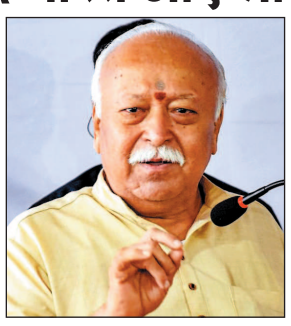

समारोह को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि भारत को एक बनाए रखने की लड़ाई में देश विभाजन का सामना करना पड़ा, लेकिन उस कठिन समय में भी अनेक लोगों ने अपने विश्वास और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए भारत को अपना देश चुना. उनके अनुसार, ऐसे लोगों के संघर्ष और त्याग को केवल शरणार्थी शब्द से परिभाषित नहीं किया जा सकता.

शिक्षा के महत्व पर भी बोले मोहन भागवत

अपने संबोधन में भागवत ने शिक्षा के महत्व पर भी विस्तार से विचार व्यक्त किए. उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के लिए जिम्मेदार और अच्छे नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सही और गलत की पहचान केवल पुस्तकों से नहीं होती, बल्कि शिक्षकों के आचरण, व्यवहार और उनके द्वारा दिए जाने वाले संस्कारों से भी विकसित होती है. उन्होंने कहा कि जीवन में परिस्थितियों या भाग्य के सामने हार नहीं माननी चाहिए. जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना करता है, वही आगे बढ़ता है, जबकि कठिनाइयों से बचने का प्रयास करने वाला व्यक्ति पहले ही पराजय स्वीकार कर लेता है. इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की जानकारी भी साझा की. बताया गया कि 10 से 12 जुलाई तक कर्नाटक के बेलगावी में अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी.

स्वच्छ कुंड में नमाज पढ़ने पर एफआईआर

यूपी के सीएम योगी ने पूजास्थल पर नमाज के बाद जांच की शुरू

लखनऊ, 2 जुलाई. सहारनपुर के गंगोह रोड स्थित गोगा म्हाड़ी परिसर के ऐतिहासिक स्वच्छ कुंड में कथित तौर पर कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज अदा किए जाने का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है.

वायरल वीडियो के सामने आने के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई और इसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है. घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक जांच पूरी होने से पहले घटना से जुड़े किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

> अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि वीडियो में दिख रही परिस्थितियां क्या थीं और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका क्या रही. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी पक्ष को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

28 साल का आरोपी खुद ही पहुंचा थाने

चंडीगढ़, 02 जुलाई. हरियाणा के हिसार के शिवनगर क्षेत्र में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही 32 वर्षीय महिला की उसके साथी ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी स्वयं सूर्यनगर पुलिस चौकी पहुंचा और हत्या करने की बात स्वीकार की. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है. मामले की जांच जारी है. मृतका की पहचान पूजा (32) के रूप में हुई है, जो पिछले करीब पांच वर्षों से गौरव (28) के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. गुरुवार सुबह आरोपी गौरव खुद सूर्यनगर पुलिस चौकी पहुंचा और पुलिस को बताया कि उसने पूजा की हत्या कर दी है. सूचना मिलते ही पुलिस आरोपी को साथ लेकर मौके पर पहुंची, जहां कमरे में महिला का शव पड़ा मिला. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर फोरेंसिक टीम को बुलाया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. प्रारंभिक जांच के अनुसार, देर रात करीब तीन बजे दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ.

बंगाल के शिक्षा मंत्रियों संग प्रधान की बैठक

शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 02 जुलाई. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हर संभव आवश्यक सहायता प्रदान करेगी. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय, एनईपी के विजन के अनुरूप राज्य में शिक्षा को फिर से बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि राज्य के शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से रोडमैप तैयार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं. धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को नई

दिल्ली में पश्चिम बंगाल सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय और पश्चिम बंगाल सरकार के ही स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन के साथ विस्तृत चर्चा की. यह चर्चा राज्य में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन, विस्तार और निधि आवंटन पर केंद्रित थी.

यूपी पुलिस में रिकार्ड तबादले

लखनऊ, 02 जुलाई. उत्तर प्रदेश पुलिस में ताबड़तोड़ फेरबदल किए गए हैं. गुरुवार को एक साथ 125 डिप्टी एसपी अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है. इनमें वो सभी अधिकारी शामिल हैं, निरीक्षक से डिप्टी एसपी के पद पर प्रमोशन दिया गया है.

जारी तबादला सूची के अनुसार विभिन्न जनपदों, पुलिस कमिश्नरेट, पीएसी, एटीएस, रेलवे पुलिस तथा अन्य इकाइयों में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस व्यापक तबादले का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना और प्रशासनिक कार्यों में गति लाना बताया जा रहा है. शासन के आदेश के बाद सभी स्थानांतरित अधिकारियों को शीघ्र नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं. कमलेश कांत का तबादला मुरादाबाद से गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट किया गया है, जबकि सुनील कुमार सिंह को भदोही से बिजनौर भेजा गया है. अरुण कुमार शुक्ला को गोंडा से कौशांबी, मुकेश कुमार त्यागी को सहारनपुर से 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद तथा जावेद इकबाल खान को खीरी से 48वीं वाहिनी

- 125 डिप्टी एसपी को किया इधर से उधर

पीएसी सोनभद्र में नई तैनाती दी गई है. इसी क्रम में रणवीर सिंह यादव को बागपत से शाहजहांपुर, राम किशन को बाराबंकी से गाजियाबाद कमिश्नरेट, अमित प्रताप सिंह को एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ से बहराइच तथा शिव ठाकुर को सहारनपुर से मेरठ भेजा गया है.

आज का इतिहास

1897- भारत की प्रसिद्ध समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद हंसा मेहता का जन्म.

1908- बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया.

1941- मलयालम सिनेमा और भारत के चोटी के फिल्म निर्माताओं में से एक अदूर गोपालकृष्णन का जन्म.

1969- महावीर चक्र से सम्मानित वीर भारतीय सैनिक दिगेन्द्र सिंह का जन्म.

1972- भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुए.

1979- भारतीय निशानेबाज आरती सिंह राव का जन्म.

आईटीबीपी, बीएसएफ, एनएसजी ने रचा नया इतिहास

एवरेस्ट विजेता जवानों का हुआ भव्य अभिनंदन

नई दिल्ली, 02 जुलाई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित भव्य फ्लैग-इन समारोह में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के माउंट एवरेस्ट अभियान-2026 तथा बीएसएफ के माउंट ल्होत्से अभियान-2026 के सफल दलों का अभिनंदन किया. इस दौरान उन्होंने आईटीबीपी और एनएसजी के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया.

समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी के निदेशक महेश दीक्षित, आईटीबीपी महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, एनएसजी महानिदेशक बी. श्रीनिवासन और

बीएसएफ महानिदेशक प्रवीण कुमार सहित तीनों बलों के वरिष्ठ अधिकारी और अभियान दलों के सदस्य मौजूद रहे.

कार्यक्रम के दौरान तीनों बलों ने अपने-अपने पर्वतारोहण अभियानों की प्रस्तुति दी तथा अभियान दलों के नेताओं ने गृह राज्य मंत्री को अभियान ध्वज भेंट किया. अपने संबोधन में नित्यानंद राय ने कहा कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर तिरंगा फहराना केवल साहसिक उपलब्धि नहीं, बल्कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की पेशेवर दक्षता, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का सशक्त प्रमाण है.

नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रबोधन का कार्यक्रम आज

नई दिल्ली, 02 जुलाई. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तीन जुलाई को कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को बताया कि दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान विधायी कार्य के प्रमुख आयामों पर केंद्रित तकनीकी सत्रों की एक श्रृंखला आयोजित की जायेगी. इनमें एक प्रभावी विधायक कैसे बनें, सदस्यों के लिए संसदीय परंपराएं, परिपाटी एवं शिष्टाचार, विधानमंडलों में प्रश्नों एवं अन्य प्रक्रियात्मक साधनों के माध्यम से कार्यपालिका की उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, भारतीय संसद की समिति प्रणाली, निजी सदस्य विधेयकों सहित विधायी प्रक्रिया, संसद में वित्तीय कार्य एवं बजटीय प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार एवं आचारनीति तथा राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग (नेवा) विषयों पर विचार-विमर्श किया जायेगा.

एचडीएफसी बैंक लि. HDFC BANK We understand your world

स्कीम नं. 94, ब्रिलियंट एवेन्यु, बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे, रिंग रोड़, इन्दौर-452010

आधिपत्य सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **एचडीएफसी बैंक लि.** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसके बाद ''नियम'' के रुप में संदर्भित) और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 का सपठित नियम 13 (इसके बाद ''नियम'' के रुप में संदर्भित) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणगृहिता/ जमानतदार/ बंधककर्ता **गुरु कृपा डेयरी, प्रोप्रा. श्री योगेन्द्र शर्मा पिता अम्बालाल शर्मा (ऋणी) एवं श्रीमती विद्या देवी शर्मा पति अम्बालाल शर्मा (सह-ऋणी/जमानतदार) निवासी 73, चांद मारी, गांधी नगर, राधा कृष्ण मंदिर के पास, रतलाम, मध्य प्रदेश - 457001** को मंगनी करते हुए मांग सूचना पत्र दिनांकित **05.12.2025** उक्त सूचना पत्र की प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों के भीतर **रूपये 11,47,514.57/- (रुपये ग्यारह लाख सैंतालिस हजार पांच सौ चौदह एवं सत्तावन पैसे मात्र)** साथ ही आगे का ब्याज एवं खर्चे सहित सूचना पत्र में उल्लेखित राशि को लौटाने के लिए निर्गमित किया।

ऋणगृहिता/जमानतदार/बंधककर्ता के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणगृहिता/ जमानतदार/बंधककर्ता और सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का **सांकेतिक आधिपत्य** दिनांक **29 जून 2026** को ग्रहण कर लिया है।

ऋणगृहिता/जमानतदार/बंधककर्ता को विशेषत: एवं सर्वसाधारण को सामान्यत: एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ का **रूपये 11,47,514.57/- (रुपये ग्यारह लाख सैंतालिस हजार पांच सौ चौदह एवं सत्तावन पैसे मात्र) 03.12.2025 तक** एवं पुर्णभुगतान तक उस पर ब्याज एवं खर्चो सहित राशि के लिए **एचडीएफसी बैंक लि.** के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा **13 की उपधारा (8) के उपबंधो** की ओर आकृष्ट किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

आवासीय संपत्ति, मकान नं. 73, प्लॉट नं. 96 के एक हिस्से पर निर्मित, टीआईटी स्कीम नं. 09, मोहल्ला गांधी नगर, रतलाम, मध्य प्रदेश 457001,
घर की लंबाई पूर्व-पश्चिम दिशा में 57 फीट और चौड़ाई उत्तर-दक्षिण दिशा में 18.8 फीट है। **कुल एरिया 1064.19 वर्ग फीट,** ग्राउंड फ्लोर का बिल्ट-अप एरिया 447.75 वर्ग फीट एवं फर्स्ट फ्लोर बिल्ट-अप एरिया 564.44 वर्ग फीट।
(संपत्ति स्वामी: श्री योगेन्द्र शर्मा पिता अम्बालाल शर्मा एवं श्रीमती विद्या देवी शर्मा पति अम्बालाल शर्मा) लोन नं.: 82396002, ऋणी नाम: गुरु कृपा डेयरी, प्रॉडक्ट: प्रॉपर्टी के बदले लोन

दिनांक : 03.07.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : रतलाम — **एचडीएफसी बैंक लि.**

शुद्धिपत्र

यह हमारे उस डिमांड नोटिस विज्ञापन के संदर्भ में है जो आज, 2 जुलाई 2026 को नवभारत के इंदौर संस्करण में प्रकाशित हुआ था। उस विज्ञापन में आखिरी पन्ने पर सबसे नीचे बाईं ओर 'गुजरात' और तारीख '29.06.2026' लिखी गई थी। सभी से अनुरोध है कि वे उस जगह को 'इंदौर, मध्य प्रदेश' और तारीख को '2 जुलाई 2026' पढ़ें।

हस्ताक्षर/-
स्थान: इन्दौर — **अधिकृत अधिकारी,**
दिनांक: 03.07.2026 — **एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)**

Arcil Premier ARC **एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड,**
CIN No.: U65999MH2002PLC134884 • Website: www.arcil.co.in
रजिस्टर्ड ऑफिस: द रूबी, 10वीं मंज़िल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400028.

अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान
(विश्वविद्यालय समतुल्य)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त संगठन, भारत सरकार
गोवंडी स्टेशन रोड, देवनार, मुंबई – 400088
संपर्क विवरण: टेलीफ़ोन: 91–22– 42372468
ईमेल : admission@iipsindia.ac.in वेबसाइट : www.iipsindia.ac.in

प्रवेश घोषणा – शैक्षणिक वर्ष 2026–2027

सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि PG, Ph.D. तथा PDF पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि 15–07–2026 (प्रातः 11:00 बजे) तक बढ़ा दी गई है। अधिक जानकारी हेतु कृपया www.iipsindia.ac.in पर जाएँ ।

निदेशक एवं वरिष्ठ प्रोफेसर

जाहिर सूचना

समाचार पत्र में दिनांक 20.06.2026 को मकान नं. 293 ग्राउन्ड फ्लोर, लोकमान्य नगर, इन्दौर की ई नीलामी बाबत् जारी नीलामी प्रकाशन का प्रतिवाद

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **दिनांक 20.06.2026** को **सारस्वत कॉ. ऑप. बैंक लि. इन्दौर म.प्र.** के द्वारा **मकान नं. 293, ग्राउन्ड फ्लोर, लोकमान्य नगर, इन्दौर** की भूतल नीलामी (ई-ऑक्शन सेल नोटिस) बाबत् जारी इश्तेहार / जाहीर सूचना का प्रकाशन किया गया है। उक्त सम्पत्ति **लोकमान्य गृह निर्माण सोसायटी मंगल भवन, गेट क्र. 02, लोकमान्य नगर, इन्दौर म.प्र. (452009)** के स्वामित्व की है जो कि लीज पर **श्री सुनील पिता शंकर तरटें की माता श्रीमति विमला** द्वारा पट्टे पर प्राप्त की गई थी। सारस्वत बैंक के द्वारा संस्था द्वारा जारी लीज़ में उल्लेखित नियम एवं शर्तों एवं लोन प्राप्त करने के लिए संस्था द्वारा दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्त के विपरीत जाकर उक्त सम्पत्ति की नीलामी (ई-ऑक्शन सेल) के माध्यम से की जा रही है जो कि नियम एवं शर्तो के विरूद्ध है।

अतः आप बैंक को इस जाहीर सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 20.06.2026 को प्रकाशित नीलामी का संचालन तुरन्त प्रभाव से रोक देवे एवं आप सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आप इस नीलामी (ई-ऑक्शन सेल) में हिस्सा ना लेवे एवं किसी प्रकार से उक्त सम्पत्ति का क्रय-विक्रय ना करे अन्यथा सम्बंधित के विरुद्ध संस्था सक्षम न्यायालयीन कार्यवाही करने हेतु बाध्य रहेगी।

अजय पिता श्री श्यामकांत वैशम्पायन (अध्यक्ष)
लोकमान्य गृह निर्माण सोसायटी, मंगल भवन गेट क्र. 02
लोकमान्य नगर इन्दौर म.प्र. 452009

प्रारूप-छ-3
(मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 49 - ग (3) के अंतर्गत)
सदस्यता सूचि पर आपत्ति हेतु सदस्यों को सूचना का प्ररूप कार्यालय -रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित सतवास जिला देवास
पंजीयन कमांक 787 दिनांक 13.06.1995

क्रमांक / रिटर्निंग अधिकारी / क्यू — दिनांक 02.07.2026

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सोसायटी के संचालक मण्डल के सदस्यो का निर्वाचन दिनांक.....को साधारण सभा / विषेश साधारण सम्मिलन मे सम्पन्न होना है।

अतः एंव सोसायटी की सदस्यता सूची का प्रकाशन सोसायटी कार्यालय के नोटिस बोर्ड, उप / सहायक पंजीयक कार्यालय, संबंधित विकास खण्ड कार्यालय, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा के सूचना पटल पर दिनांक 02.07.2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो सुचि प्रकाशित होने के दिनांक से दिनांक 09.07.2026 तक सस्था कार्यालय सतवास में मुझे या मेरें द्वारा अधिकृत श्री मोहनदास बैरागी संस्था सदस्य को समय प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त दावे एव आपत्तियों का निराकरण संस्था कार्यालय मे दिनांक 10.07.2026 को दोपहर 1.00 बजे से किया जावेगा। आपत्तियों के निराकरण के दिन सदस्य उपस्थित हो सकते है। आपत्तियों के संबंध में पृथक से व्यक्तिसा सूचना नही दी जावेगी। यदि किसी सदस्य की कोई आपत्ति है और वह उपस्थित नही होता है तो भी उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर आपत्तियों का निराकरण किया जावेगा।

(आशीष लोहरा)
सह. निरीक्षक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित सतवास जिला देवास

मांग सूचना

चूंकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (जो नीचे बताए गए ट्रस्टों के लिए ट्रस्टी के तौर पर काम कर रही है) के अधिकृत अधिकारी (जिसे आगे "ARCIL" कहा जाएगा) को कंपनीज एक्ट, 1956 के तहत बनाया गया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' (जिसे आगे "SARFAESI एक्ट" कहा जाएगा) के तहत एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया गया है; और चूंकि नीचे दिए गए चार्ट के कॉलम नंबर 2 में बताए गए उधारकर्ता / सह-उधारकताओं ने मूल ऋणदाताओं से लोन लिया था; और चूंकि ARCIL ने नीचे बताए गए लोन खातों से जुड़े फाइनेंशियल एसेट्स हासिल कर लिए हैं; और चूंकि ARCIL, SARFAESI एक्ट के तहत एक सुरक्षित लेनदार है और उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत मिली शक्तियों और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002' के नियम 2 का इस्तेमाल करते हुए, नीचे बताए गए उधारकताओं / सह-उधारकताओं को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उनसे नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में बताई गई रकम और उस पर लगने वाला अतिरिक्त ब्याज चुकाने के लिए कहा गया था, लेकिन अलग-अलग वजहों से उनमें से कुछ को नोटिस नहीं दिया जा सका।

लैन नं./ मूल ऋणदाता का नाम / मांग सूचना की तारीख / ट्रस्ट का नाम	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता का नाम	डिमांड नोटिस की तारीख के अनुसार रू. में कुल बकाया राशि
LAN: 18065672848 मूल ऋणदाता: नॉर्दर्न ARC कैपिटल लिमिटेड मांग नोटिस की तारीख: 13.05.2026 ट्रस्ट का नाम: Arcil-Trust-2026-032	इमरान रंगरेज / रानी रंगरेज	रू. 6,41,657.62/- 08.05.2026 तक
प्रॉपर्टी का विवरण: संपत्ति का पता: मकान नंबर 956, आबादी गांव में स्थित है गोगावां, पी.एच. क्रमांक 04, ग्राम पंचायत गोगावां, तहसील गोगावां जिला. खरगोन खसरा क्रमांक 956, क्षेत्रफल 59.47 लगन/भूमि राजस्व (रुपया) 00 ऋण पुस्तिका क्रमांक न जिला खरगौन तहसील गोगांव क्षेत्र प्रकार - स्वतंत्र निर्मित भवन ग्राम - क्षेत्र उप क्षेत्र प्रकार: योजना क्षेत्र पटवारी हल्का/गांव: पटवारी हल्का 00004 ग्राम/मोहल्ला/ कॉलोनी: नयापुरा गोगावा कुल क्षेत्रफल 59.47 उत्तर: मुबारिक पठान का घर; दक्षिण: अमजद खान का घर; पूर्व: आम सड़क; पश्चिम: दीपक का घर।		
LAN: 106043664694 मूल ऋणदाता: नॉर्दर्न ARC कैपिटल लिमिटेड मांग नोटिस की तारीख: 13.05.2026 ट्रस्ट का नाम: Arcil-Trust-2026-032	हेमराज नागर / हेमलता बाई	रू. 9,13,574.55/- 08.05.2026 तक
प्रॉपर्टी का विवरण: प्रॉपर्टी ID 103453202411443160 प्रॉपर्टी का प्रकार: बिल्डिंग प्रॉपर्टी का लैंडमार्क:- प्रॉपर्टी का पता: मकान नंबर 02, ग्राम मेंडिया, पीएच नंबर 12 (गाइडलाइन सरल नंबर 1756 के अनुसार), तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास (म.प्र.) विकास खंड (Development Block):- R. I. सर्कल:- लेआउट की जानकारी:- नजूल/शीट नंबर:- प्लॉट नंबर:- खसरा नंबर 02, एरिया 156.13, लगान 0, ऋण पुस्तिका 0 जिला देवास तहसील हाटपिपल्या एरिया का प्रकार: ग्रामीण क्षेत्र, सब-एरिया का प्रकार: नॉन-प्लानिंग एरिया, पटवारी हल्का/गाँव: पटवारी हल्का 00012, गाँव/मोहल्ला/कॉलोनी: मेंडिया, कुल एरिया (वर्ग मीटर) 156.13, फ्लोर का नाम: ग्राउंड फ्लोर, बिल्डिंग की जानकारी: क्या बिल्डिंग पुरानी है? नहीं। कुल एरिया (वर्ग मीटर) 156.13 में से रेसिडेंशियल एरिया (वर्ग मीटर): RCC 156.13, टिन शेड 0, कच्चा/कवेलू 0, फ्लोर का नाम: ग्राउंड फ्लोर, उत्तर: दिलीप सिंह का मकान; दक्षिण: राजेंद्र सिंह का मकान; पूर्व: स्थानीय रास्ता; पश्चिम: सुरेंद्र धाकड़ की जमीन।		
LAN: 106043947274 मूल ऋणदाता: नॉर्दर्न ARC कैपिटल लिमिटेड मांग नोटिस की तारीख: 13.05.2026 ट्रस्ट का नाम: Arcil-Trust-2026-032	संजय गुर्जर / ममता	रू. 11,25,672.22/- 08.05.2026 तक
प्रॉपर्टी का विवरण: मकान नंबर 9/5, पी.एच. पर स्थित क्रमांक 64 सरल क्रमांक 983, ग्राम पंचायत लालूपुरा, तहसील शाजापुर जिला। शाजापुर (म.प्र.) प्लॉट क्षेत्रफल 2800 वर्ग. उपयुक्त। (260.22 वर्ग. मीटर) आरसीसी बिल्ड अप 2800 वर्ग। उपयुक्त। (260.22 वर्ग मीटर)। संपत्ति आईडी: 38240202410313643, संपत्ति का प्रकार: भवन। संपत्ति का पता: मकान नंबर 9/5, पी.एच. पर स्थित है। क्रमांक 64 सरल क्रमांक 983, ग्राम पंचायत लालूपुरा, तहसील शाजापुर। शाजापुर (म.प्र.). विकास खंड (विकास खंड): शाजापुर, प्लॉट नंबर: 11, खसरा नंबर 9/5, खसरा रकबा 260.22, लगान पुस्तिका 00, रिन ना। जिला: शाजापुर, तहसील: शाजापुर, क्षेत्र प्रकार: ग्रामीण क्षेत्र, उपक्षेत्र प्रकार: गैर-योजना क्षेत्र, पटवारी हल्का/ग्राम: पटवारी हल्का 64, ग्राम/मोहल्